Bahuda Stage-II Project of Orissa in the Bahuda Basin which is common to the States of Andhra Pradesh and Orissa, is under discussions between the officers of the two States.

## राज्यों में भूमि सुधार

\* 238. श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

. (क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों में कमियों को दूर करने के लिये योजना ग्रायोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नियमों को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ; ग्रौर

(ख) किन-किन राज्यों ने उक्त मार्ग-दर्शी नियमों के ग्रनुसार भूमि के स्वामियों ढारा किसानों की बेदखली रोकने के लिये कानून में सुधार के लिये ग्रभी तक व्यवस्था नहीं की है ?

## *†*[Land reforms in States

\*238. SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the extent to which the guidelines issued by the Planning Commission for removing lacunae in land reform laws have been followed in the various States; and

(b) the names of the States which have so far not made provision in their land reform laws to prevent the eviction of tenants by the land owners in terms of the said guidelines?]

रुषि श्रौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमि सुधार के बारे में राष्ट्रीय नीति का उल्लेख पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में किया गया है । इस विषभ में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । (नीचे देखिये) । (ख) उन सभी राज्यों ने, जहां पट्टेदारी की प्रथा विद्यमान है, कानूनी व्यवस्था है कि पट्टेदारी को, इसके बारे में बने कानूनो के ग्रनुसार ही बेदखल किया जा सकता है ।

## विवरण

भूमि सुधार के बारे में राष्ट्रीय नीति पंचवर्षीय योजनाश्रों में दी गई है। इस दिशा में पहला कदम जमींदारियों, जागीरों, इनामों, इत्यादि मध्यस्थ पट्टों का उन्मूलन करना था। यह कार्य, वस्तुतः पूर्ण हो गया है स्रौर इसके परिणामस्वरूप 200 लाख से ग्रधिक काश्तकारों को राज्य के साथ सीधे सम्पर्क मे लाया गया है। थोड़ी छोटी जागीरे स्रौर इनाम ग्रभी भी विद्यमान हैं। उनके उन्मूलन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

पट्टेदारी सम्बन्धी नीति का उद्देश्य सभी पट्टेदारों ग्रौर वटाईदारों को उन ढारा काश्त होने वाली भूमि के स्वामित्व के ग्रधिकार प्रदान करना है। परन्तु रक्षा सेवाग्रों के कर्मचारियों, विधवाग्रो, ग्रविवाहित महिलाग्रों, बच्चों ग्रौर मानसिक तथा शारी-रिक रूप से ग्रपंग श्रेणी के पट्टेदारों को इससे मुक्त किया गया है। ग्रन्य पट्टेदारों के लिए (जो ग्रनेक राज्यो में ग्रभी भी विद्यमान है) स्थिति यह है कि उनके पट्टों की सुरक्षा प्राप्त है। इसके तीन मूलभूत तत्व हैं :---

- (1) कानूनों के उपबंधों के सिवाय किसी ग्रन्य ढंग से काश्तकारों की बेदखली नहीं हो सकती;
- (2) भू वामी दारा छेवल निजी खेती के लिए भमि वापिस ली जा सकती है; ग्रौर
- (3) भूमि वापिस लेने की स्थिति में पट्टेदार को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र मे से कम से कम कुछ क्षेत्र निश्चित रूप से दिया जायेगा।

कानून के उपबन्धों के सिवाय काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ सभी पटटेदारी

<sup>†[ ]</sup>English translation.

57

कानूनों में व्यवस्था मौजूद है। सभी राज्यो के कानूनों में काश्तकारों के पास कम से कम कुछ भूमि छोड़ने की व्यवस्था है, जिसे किसी भी हालत में वापिस नही लिया जा सकता। कर्नाटक ग्रौर उत्तर प्रदेश के कानूनों में स्वयं खेती करने के लिए भी भूमि वापिस लेने की ग्रनुमति नही है। भूमि वापिस लेने का ग्रधिकार (जिसका प्रयोग भूस्वामियों को एक निश्चित ग्रवधि तक करनाथा) ग्रधिकांश राज्यों मे समाप्त हो गया है।

लगान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति यह है कि विशेष हालतों के सिवाय लगान कूल उत्पाद के 1 5 से लेकर 1/4 भाग से स्रधिक नहीं होना चाहिए । ग्रान्ध्र प्रदेश के ग्रान्ध्र क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब ग्रौर तमिलनाड् के सिवाय (जहां दरें कुछ ग्रधिक हैं) पटटेदारी सम्बन्धी कानुनों मे राष्ट्रीय नीति के अनुरूप दरों की व्यवस्था है। विहार मे रैम्यत के ग्रधीन काश्तकार को रैय्यत से ली गई भमि के उत्पाद का अधिक से अधिक 7 20 भाग की दर से लगान देना पड़ता है। जहां लगान नकद धनराशि के रूप में देना होता है वहां यह मालग्जारी के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में लगान का निर्धारण काश्तकार और भुस्वामी दोनों की स्वीकृति से ग्रथवा किसी भी पार्टी द्वारा राजस्व प्राधिकारियों को इस प्रयोजन के लिए ग्रावेदन पत्न देनें पर होता है।

ग्रान्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र), ग्रसम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ग्रौर कश्मीर, कर्ताटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणीपुर, उडीसा, राजस्थान ग्रौर तिपुरा के कानूनों में काश्तकारों को स्वामित्व के ग्रधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ग्रान्ध्र प्रदेश (ग्रान्ध्र क्षेत्र), हरियाणा ग्रौरपंजाब के कानूनों में काश्तकारों को, जिस भूमि पर वे खेती कर रहे हैं, उसे खरीदने का ग्रधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सब काश्तकारों तथा शिकमी-काश्तकारों ग्रौर पश्चिम बंगाल में रैय्यतों को प्रत्यक्ष रूप से राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में लाया गया है। सिर्फ विहार और तमिलनाडु में काश्तकारों को स्वामित्व के ग्रधिकार प्रदान करने ग्रथवा उनके द्वारा कृष्य भूमि को उन्हें खरीदने के लिए कानून में कोई व्यवस्था नही की गई है। पश्चिम बंगाल में बरगदारो (बटाईदारो) को कम से कम एक हेक्टैयर भूमि ग्रपने पास रखने के लिये ग्राण्वस्त किया गया है। इस भूमि को उनसे वापिस नही लिया जा सकता। भूस्वामी को बरगदारों से 3 हैक्टेयर से ग्रधिक भूमि (जिसमे वह भूमि भी शामिल है जो उसके पास किसी ग्रन्थ प्रकार से है) वापिस लेने की ग्रनुमति नही है।

ग्रव तक सभी राज्यों ने राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तो से मिलते-जुलते जोत की ग्रधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बना लिये है। कुछ स्थानों पर थोडी सी विषमताएं है।

नागालैन्ड और मेघालय मे भूमि पर समुदाय का ग्राधिपत्य है। ग्रतः ऐसी राप्ट्रीय नीति, जिसकी रूपरेखा ऊपर दी गई है, यहां के लिए ठीक नही है। सिक्किम में भूमि सुधार को राप्ट्रीय नीति के ग्रनुसार रूप दिया जा रहा है।

†[THE MINISTER OF AGRICUL-TURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The national policy on land reforms has been laid down in the Five Year Plan documents. A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) All the States where tenancy exists provide under the law that the tenants cannot be evicted except under conditions specified in the law itself.

## Statement

The national policy on land reforms  $ha_s$  been spelt out in the Five Year Plans. The first step was the abolition of the intermediary tenures like the zamindaries, jagirs, inams etc. This

†[] English Translation

59

step has, for all practical purposes, been completed and as a result more than 20 million cultivators have been with the brought in direct contact State. Only a few minor jagirs and inams conitnue to exist and steps are being taken for their abolition.

The policy on tenancy aims at conferring ownership rights on all tenants and share-croppers in the land possession. cultivating under their Only tenants of landlords who are members of the defence forces. widows, unmarried women, children and persons suffering from mental and physical disabilities are excepted. For other tenants that still continue to exist in many States, the policy aims at ensuring complete security of tenure which has three essential elements:

(1) that the ejectment of tenants does not take place except in accordance with the provisions of the law;

(2) that the land should be resumed by the owner, if at all, for personal cultivation only; and

(3) that in the event of resumption the tenant is assured of a minimum tenanted area.

All tenancy laws provide against ejectment of tenants except on grounds specified in the law. All State laws provide for a minimum area being left with the tenant as absolutely non-resumable. The Karnataka and the U.P. laws do not permit any resumption of land for personal cultivation. The right of resumption, which was to be exercised by landlords within a specified period, has expired in most of the States:.

The policy on rent requires that except in special circumstances, rent should not exceed 1/5th to 1/4th of the gross produce. Except for the Andhra Pradesh (Andhra Area), Haryana, Punjab and Tamil Nadu where the rates are somewhat higher, the ten-

for ancy laws everywhere provide rates in accordance with the national policy. In Bihar the under-raiyat is required to pay rent at a rate not 7/20th of the produce. exceeding Where rent is paid in cash, it is not to exceed 150 per cent of the land revenue. In Uttar Pradesh, the rent can be agreed upon by the parties themselves or can be fixed by the revenue authorities on an application being. made by the parties for this purpose.

Provisions for the conferment of ownership rights upon tenants in the land under their cultivating possession have been made in the laws of (Telengana Area), Andhra Pradesh Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Rajasthan, and Tripura. The laws of Andhra Pradesh (Andhra Area), Haryana and Punjab give tenants the right to purchase the land they cultivate. All tenants and sub-tenants in U.P., and raiyats in West Bengal have been brought in direct relationship with the State. It is only in Bihar and Tamil Nadu that there is no provision in the law either for conferment of ownership rights on tenants or for enabliny them to purchase the land under their cultivating possession. In West Bengal, the bargadars (share-croppers) have been assured a minimum of one hectare as non-resumable from them. The landlord is not permitted to resume from the bargadar more than 3 hectares of land including that which he may be holding otherwise.

By now, all the States have enacted laws in broad conformity with the national guidelines on agricultural land ceiling. There are only a few minor variations at certain places.

In Nagaland and Meghalaya, land is held by the community and, therefore, the national policy as outlined above does not hold good. Land reforms in Sikkim is being gradually shaped according to the national policy.]

00